



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय / BHOPAL REGION
E-Mail : acbhopal@yahoo.com

Phone : 2550728 (DC)
2551678 (AC/FO)
2551699 (AC/AO)
Fax : 0755-2553126
मैदा मिल के सामने,
भोपाल (म0प्र0)
Opp. Maida Mills,
Bhopal - 462 011.

फा. 14050/2018/केविस/भोपाल/9995-33

दिनांक : 10/08/2018

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 09/02/2011 के माध्यम से परिचालित किए गए भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/05/2009 एवं परिपत्र क्र.110239/51/2017/बजट/केवीएस(मुख्यालय) दिनांक 09/11/2017 के द्वारा परिचालित किए गए उक्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक एफ.35034/3/2015-स्था.(डी) दिनांक 27/28.09.2016 के अंतर्गत, इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में गठित विभागीय छानबीन समिति (Departmental Screening Committee) की बैठक दिनांक 06/08/2018 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में की गई अनुशंसा एवं अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित अशैक्षणिक कर्मचारियों को, उनके संबंधित वर्ग में उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (MACPS) के तहत कॉलम संख्या 08 में दर्शाये गये पे मैट्रिक्स लेबल(पे बैंड, वेतनमान एवं ग्रेड वेतन) में वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Employee	Name of KV	Date from which the present post on regular basis is held	Date of initial appointment on regular basis and designation	Date of eligibility for MACP	No. of MACP Ist /IInd / IIIrd	Pay Level in Matrix (Pay+Grade Pay)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
वरिष्ठ सचिवालयीन सहायक (SSA)								
1.	SH OM PRAKASH KASHYAP	BANGARASIA	14.09.2005 SSA	01.03.1988 LDC	01.03.2018	III	LEVEL-6 (4200)	
2.	SH B.L. SHARMA	NO.3(1st Shift) BHOPAL	23.10.2002 SSA	29.12.1987 LDC	29.12.2017	III	LEVEL-6 (4200)	
3.	SH HARISH CHANDRA MAGRAIYA	NO.1 (1st Shift) GWALIOR	11.03.2013 SSA	20.03.1998 LDC	20.03.2018	II	LEVEL-5 (2800).	
4.	SH DEEPAK DUBEY	NO.1 (2nd Shift) INDORE	24.10.2002 SSA	19.08.1987 LDC	19.08.2017	III	LEVEL-6 (4200)	
5.	SH DILIP KUMAR JAIN	VIDISHA	22.10.2002 SSA	31.10.1987 LDC	31.10.2017	III	LEVEL-6 (4200)	
6.	SH GOVIND SINGH (Retired on superannuation w.e.f. 30/04/2018)	ITBP SHIVPURI	17.09.1992 SSA	22.12.1979 LDC	25.08.2013*	II	PB-II, 5200-20200 +GP 2800	
			*On completion of penalty vide order No.28-4/2001-KVS(BPL)/12126 dated 25.08.2011					

Total=06(Six Cases)

सब स्टाफ(SUB STAFF)


1.	SH DASHRATH KAPSE	AMLA	12.05.2005 LAB.ATDT.	17.09.1987 GR.D	17.09.2017	III	LEVEL-4 (2400)
2.	SH KHEMCHAND SAHALE	NO.1 BHOPAL	25.09.2004 LAB.ATDT.	07.09.1987 GR.D	07.09.2017	III	LEVEL-4 (2400)
15.	SH SUDHAKAR ATKADE	NO.3 (1ST Shift) BHOPAL	09.10.2006 LAB.ATDT.	26.02.1988 GR.D	26.02.2018	III	LEVEL-4 (2400)

Sl. No.	Name of Employee	Name of KV	Date from which the present post on regular basis is held	Date of initial appointment on regular basis and designation	Date of eligibility for MACP	No. of MACP Ist /IInd / IIIrd	Pay Level in Matrix (Grade Pay)
16.	SH OMKAR CHAUHAN	NO.1 (IInd Shift) GWALIOR	01.12.1997 SUB STAFF	01.12.1997 GR.D	01.12.2017	II	LEVEL-3 (2000)
17.	SH BALWANT KUMAR	NO.5 GWALIOR	18.03.1998SU B STAFF	18.03.1998G R.D	18.03.2018	II	LEVEL-3 (2000)
18.	SMT SRIDEVI	NO.5 GWALIOR	24.01.1998 SUB STAFF	24.01.1998 GR.D	24.01.2018	II	LEVEL-3 (2000)
19.	SH DHANRAJ PRASAD AMRAWANSHI	NO.1 (IInd Shift) INDORE	12.07.2005 LAB.ATDT.	23.09.1987 GR.D	23.09.2017	III	LEVEL-4 (2400)
20.	SH NARMADA PRASAD GOUR	NO.2 INDORE	07.01.2006 LAB.ATDT.	25.01.1988 GR.D	25.01.2018	III	LEVEL-4 (2400)
21.	SH PREM NARAYAN	NO.1 OF ITARSI	17.11.1997 SUB STAFF	17.11.1997 GR.D	17.11.2017	II	LEVEL-3 (2000)
22.	SH MUKESH KUMAR TARE	KHARGONE	04.11.2004LAB .ATDT.	01.08.1987G R.D	01.08.2017	III	LEVEL-4 (2400)
23.	SMT RUKHMABAI TAYDE	NEPANAGAR	28.01.2006 LAB.ATDT.	26.02.1988 GR.D	26.02.2018	III	LEVEL-4 (2400)
24.	SH HEMRAJ VERMA	SEHORE	01.07.2005 LAB.ATDT.	17.12.1987 GR.D	17.12.2017	III	LEVEL-4 (2400)
25.	SH GOPAL KAROSIA	GUNA	01.11.1991 LAB.ATDT.	06.02.1988 GR.D	06.02.2018	III	LEVEL-4 (2400)
26.	SH SHIROMAN SINGH	DATIA	12.01.2006 LAB.ATDT.	18.02.1988 GR.D	18.02.2018	III	LEVEL-4 (2400)
Total=14(Fourteen cases)							

संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (एमएसीपी) का उद्देश्य केवल ग्रेड-पे में पद स्थापना करना/वित्तीय लाभ प्रदान करना है तथा वास्तविक प्रयोजन प्रोन्नति के समान नहीं है और ना ही इस लाभ से उच्च पद पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त होगा सिवाय जैसा कि इस योजना के तहत है। संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन पर संबंधित कर्मचारी का वेतन मूल नियमों एवं एमएसीपी योजना के तहत निर्धारित किया जाएगा।


विभागीय जांच समिति(DSC) की दिनांक 06/07/2018 को आयोजित व सम्पन्न हुई सभा के लिए प्राप्त निम्न तालिकाबद्ध कर्मचारियों के विद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों, उपलब्ध सेवा विवरणों व दस्तावेजों पर विचारोपरान्त “वर्तमान में MACPS के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने हेतु उनके नामों के समक्ष दिए गए कारण व टिप्पणियों के आधार पर अनुशंसा नहीं की गई है-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम व विद्यालय	कारण व टिप्पणी
1	श्री एस0के0 चौरे, वरि0सचि0सहायक, के0वि0 क.1 ओ0एफ0 इटारसी	First MACP was deferred and not allowed, due to deptt. proceedings; therefore he is not eligible to subsequent MACPS at present, due to consequential effect of 1st MACPS.
2	श्री एस0पी0 पाण्डे, सब स्टाफ, के0वि0 खण्डवा	His case was already considered by the DSC in the meeting held on 12/10/2017 and was informed vide office order dated 24/10/2017, hence there is no change in the DSC stand.


 (सुनील श्रीवास्तव)
 सहायक आयुक्त एवं
 उपायुक्त(प्रभारी)

प्रतिलिपि :-

1. **संबंधित कर्मचारी।** कृपया इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर अपना वेतन निर्धारण विकल्प पत्र प्रस्तुत करें। एक बार प्रस्तुत किया गया वेतन निर्धारण विकल्प पत्र अंतिम होगा।
2. **प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया इस आदेश की पर्याप्त मात्रा में छायाप्रति करके अपने विद्यालय के संबंधित कर्मचारी को उचित पावती के साथ सौंप दें। संबंधित की व्यक्तिगत पुस्तिका में इस आदेश की एक प्रति नस्ती करते हुए एक प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा कर आवश्यक प्रविष्टि कर दें। संबंधित कर्मचारी के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा किया जायेगा। अतः वेतन निर्धारण के लिये संबंधित की सेवा पुस्तिका इस कार्यालय को भेजते समय संबंधित से वेतन निर्धारण विकल्प पत्र लेकर मूल प्रति में सेवा पुस्तिका में आदेश की छायाप्रति के साथ चस्पा कर प्रेषित करें। इस कार्यालय द्वारा विद्यालय से प्राप्त जानकारी/सूचना के आधार पर ही संबंधित कर्मचारियों को संशोधित आश्वस्त वृत्ति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन स्वीकृत किया है। अतः उपर्युक्त आदेश से आपके द्वारा भेजी गई जानकारी/सूचना का मिलान कर लें एवं यदि उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। संबंधित कर्मचारी से इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना के तहत वित्तीय प्रोन्नति स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापस ले लिया जायेगा। यदि संबंधित कर्मचारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया हो तो इस आदेश को या इसकी प्रमाणित प्रति उस केन्द्रीय विद्यालय में जहाँ पर वह कार्यरत है को तुरन्त प्रेषित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
4. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
5. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।
7. अध्यक्ष/सचिव, के0वि0सं0 शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ एसोसिएशन।


उपायुक्त(प्रभारी)
के0वि0सं0, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल